


11.7.19

मिस्टर पेश हुई। उद्योगपत्र हाजिर। मूल  
अपील का फैसला हो चुका है। इसलिए  
अब इस स्थान प्रार्थना-पत्र को चलाए रखना  
उचित नहीं है। इसलिए मूल अपील का फैसला  
होने के स्थान प्रार्थना-पत्र खालि डिया जाता  
है। मिस्टर वाद कार्यवाही अमिलेखागा  
भेजी जावे।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु